निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1933 (श0)

(सं0 पटना 835) पटना, वृहस्पतिवार, 29 दिसम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

———————

अधिसूचना

23 दिसम्बर 2011

सं0 22/नि0सि0(सम0)–02–11/2009/1560––श्री सुनील कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (आई0डी0जे0–8104) बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमण्डल, नरूआर द्वारा वायॉ कमला बलान तटबंध के 50.90 कि0 मी0 पर सम्पादित हो रहे कटाव निरोधक कार्य के उपयोग में लाई जा रही लेईंग रजिस्टर में दिनांक 23.5.09, 25.5.09, 27.5.09 तथा 28.5.09 को मुख्यालय तथा कार्यस्थल से बाहर रहने के बावजूद हस्ताक्षर करने, मापपुस्त सं0 849 के पृ0–23 से 30 तक पर अनुपस्थित अवधि के दिनों में भी हस्ताक्षर कर अपने को उपस्थित दिखाने, कटाव निरोधक कार्यो का दैनिक प्रगति प्रतिवेदन न देकर सप्ताहांत 17.5.09 के बाद सीधे सप्ताहांत 27.5.09 को तैयार कर प्रमण्डल कार्यालय में जमा करने, कार्यपालक अभियन्ता द्वारा स्पष्टीकरण पूछने पर अपने स्थानान्तरण एवं बचाव हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के माध्यम से पत्र न लिखकर सरकारी नियमों के विपरित सीधे प्रधान सचिव को पत्र लिखने इत्यादि अनुशासनहीनता एवं कदाचार के लिए सरकार द्वारा श्री कुमार, सहायक अभियन्ता को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुनील कुमार सहायक अभियन्ता को विभागीय अधिसूचना–सह–ज्ञापांक 669 दिनांक 15.7.09 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 997, दिनांक 01.10.09 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

विभागीय कार्यवाही में श्री सुनील कुमार, सहायक अभियन्ता के विरूद्व निम्न आरोप गठित किये गयेः–

(i) बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमण्डल, नरूआर में दायॉ कमला बलान तटबंध के 50.90 कि0 मी0 पर सम्पादित कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य में लेईंग पंजी में दिनांक 23.5.09, 25.5.09, 27.5.09 एवं 28.5.09 को मुख्यालय एवं कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने के बावजूद आपके द्वारा हस्ताक्षर करने एवं मापसुस्त सं0–849 के पृष्ट सं0–23 से 30 तक हस्ताक्षर कर अनुपस्थित अवधि में अपने को उपस्थित दिखाने का प्रयास किया गया।

(ii) आपके द्वारा कटाव निरोधक कार्यो का दैनिक प्रगति प्रतिवेदन न देकर सप्ताहांत 17.5.09 के बाद सीधे सप्ताहांत 28.5.09 को तैयार कर प्रमण्डल में जमा किया गया।

(iii) कार्यपालक अभियन्ता द्वारा स्पष्टीकरण पुछने पर आपके द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के माध्यम से पत्र न लिखकर सरकारी नियमों के विपरित सीधे प्रधान सचिव को पत्र लिख गया जो आपके घोर अनुशासनहीनता एवं कदाचार का परिचायक है।

(2) विभागीय कार्यवाही में उक्त आरोपों के जॉचोपरान्त जॉच पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें उक्त सभी आरोप प्रमाणित पाये गये। जॉच पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कुमार, सहायक अभियन्ता के विरूद्व सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। फलतः प्रमाणित आरोपों के लिए सुनील कुमार, सहायक अभियन्ता को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गयाः–

(1) निन्दन वर्ष 2009–10

(2) दो वेतनवृद्वियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(3) निलंबन अवधि में जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुनील कुमार, सहायक अभियन्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा उक्त उल्लिखित दण्ड उन्हें संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप–सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 835-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in